

झारखंड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

राँची, दिनांक / / 2019 ई०।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 455 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री रामानुज प्रसाद, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-106) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 456 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री शंभु शरण प्रसाद, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-107) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 457 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री ओंकार नाथ, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-108) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 458 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री संजय परासर, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-109) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 459 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री रामाशीष कुमार, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-110) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), नागरिक सुरक्षा आयुक्त का कार्यालय, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो०-09-03/2015 का० 460 / झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री संजय कुमार कर्ण, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-112) (पी०बी० II रू० 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू० 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी०बी० III रू० 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू० 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0 461 /झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री अरुण कुमार सिंह, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-113) (पी0बी0 II रू0 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू0 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू0 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

संख्या: 12/प्रो0-09-03/2015 का0 462 /झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री मनीन्द्र कुमार सिन्हा, आप्त सचिव (कोटि क्रमांक-114) (पी0बी0 II रू0 9300-34800/-, ग्रेड वेतन-रू0 4800, पुनरीक्षित **Level-8**), स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची को विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान आप्त सचिव कोटि (पी0बी0 III रू0 15600-39100/-ग्रेड वेतन-रू0 6600, पुनरीक्षित **Level-11**) में प्रोन्नति दी जाती है।

2. संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में पदस्थापन के उपरांत पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से



(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक-12/प्रो0-09-03/2015 का0.....462 / राँची, दिनांक-17/) / 2019 ई0।

प्रतिलिपि:- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड, राँची/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, वाणिज्यकर विभाग, झारखण्ड, राँची/सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची/नागरिक सुरक्षा आयुक्त, झारखण्ड, राँची/सचिव, झारखण्ड राज्य सूचना आयोग, राँची/अवर सचिव(प्रभारी स्थापना), कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा कोषागार, डोरण्डा तथा सभी संबंधित नवप्रोन्नत पदाधिकारियों को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के संयुक्त सचिव।